

ब-अदालत अनुमंडल दण्डाधिकारी, महागामा।

क्रि०मि० केश नं०-26/2018

घनश्याम ठाकुर बनाम् टुनटुन ठाकुर

धारा-145 द०प्र०स०

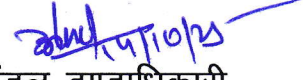
:- आदेश :-

14/10/25

अभिलेख उपस्थापित। RCMS Portal के अवलोकनोपरान्त पाया गया कि क्रि०मि० केस नं०-26/2018 घनश्याम ठाकुर बनाम् टुनटुन ठाकुर से संबंधित अभिलेख सामान्य न्यायालय से संबंधित है, परन्तु भूल वस RCMS Portal में Entry हो गया है।

अतः उक्त वाद से संबंधित अभिलेख सामान्य न्यायालय में अंतरित करते हुए RCMS Portal से हटाया जाता है।


अनुमंडल दण्डाधिकारी
महागामा।


अनुमंडल दण्डाधिकारी
महागामा।